सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 104 राँची, सोमवार

30 अग्रहायण, 1937 (श०)

21 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

20 नवम्बर, 2015

विषय :- झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को अनुसेवक भत्ता तथा अनुसचिवीय सहायता भत्ता एवं दूरभाष सुविधा की स्वीकृति ।

संख्या 13/उ0न्या0स्था0-05/2014 का0 9950-- दिनांक 18 सितम्बर, 2004 को सम्पन्न मुख्यमंत्रियों एवं मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव (Resolution) के आलोक में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को उत्तर सेवा निवृत्ति लाभ (Post retiral Benefit)- अनुसेवक भत्ता तथा अनुसचिवीय सहायता भत्ता एवं दूरभाष सुविधा की स्वीकृति के सम्बन्ध में याचिका संख्या Writ Petition (C) No. 521/2002 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 मार्च, 2014 को कार्यान्वित करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 425-426/2015 एवं अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 528/2015 में

दिनांक 27 अक्टूबर, 2015 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 27.10.2015 का झारखण्ड राज्य द्वारा अनुपालनीय अंश निम्न प्रकार पठित है:-

" We, accordingly, give four weeks' time, from today, to the state of Jharkhand to implement the directions as extracted above by framing an appropriate scheme effective from the date of expiry of six months from the order dated 31.03.2014 i.e. 30th september, 2014"

तद्नुसार Writ Petition (C) No. 521/2002 (P) Ramakrishnam Raju Verses Union of India and Others में दिनांक 31 मार्च, 2014 को पारित आदेश की कंडिका 33 एवं 34 में दिये गये निर्देश का चार सप्ताह के अन्दर योजना बनाकर कार्यान्वित किया जाना है जो दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा। Writ Petition (C) No. 521/2002 में दिनांक 31 मार्च, 2014 को पारित आदेश की संगत कंडिका 33 एवं 34 निम्नप्रकार पठित है :-

"Para 33:- It is brought to our notice that in pursuance of the said resolution, most of the States in the Country have extended various post-retiral benefits to the retired Chief Justices and retired Judges of the respective High Court. By G.O. Ms. No. 28 dated 16.03.2012 sanctioned an amount of Rs. 14,000/- per month to the retired Chief Justices of the High Court of Andhra Pradesh and an amount of Rs. 12,000/- per month to the retired Judges of the High Court of Andhra Pradesh for defraying the services of an orderly, driver, security guard etc. and for meeting expenses incurred towards secretarial assistance on contract basis and a residential telephone free of cost with number of free calls to the extent of 1500 per month over and above the number of free calls per month allowed by the Telephone authorities to both the retired Chief Justices and Judges of the High Court of Andhra Pradesh w.e.f. 01.04.2012.

Para 34:- While appreciating the steps taken by the Government of Andhra Pradesh and other States who have already formulated such scheme, by this order, we hope and trust that the States who have not so far framed such Scheme will formulate the same, depending on the local conditions, for the benefits of the retired Chief Justices and retired Judges of the respective High Courts as early as possible preferably within a period of six months from the date of receipt of copy of this order."

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 425-426/2015 एवं अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 528/2015 में दिनांक 27 अक्टूबर, 2015 को

पारित आदेश के आलोक में Writ Petition (C) No. 521/2002 (P) Ramakrishnam Raju Verses Union of India and Others में दिनांक 31 मार्च, 2014 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को उनके जीवन काल में निम्न प्रकार संविदा के आधार पर अनुसेवक भत्ता तथा अनुसचिवीय सहायता भत्ता एवं दूरभाष सुविधा की स्वीकृति दी जाती है :-

(i)

क्रम संख्या	भत्ते	सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश	सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश
1.	अनुसेवक भत्ता	8,000/- रू0 प्रतिमाह	7,000/- रू0 प्रतिमाह
2.	अनुसचिवीय सहायता भत्ता	6,000/- रू0 प्रतिमाह	5,000/- रू0 प्रतिमाह
	कुल राशि	14,000/- रू0 प्रतिमाह	12,000/- रू0 प्रतिमाह

(ii) झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को निःशुल्क आवासीय दूरभाष की सुविधा दी जायेगी जिसमें दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य प्रतिमाह निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रूपये तक निःशुल्क कॉल अनुमान्य होगा ।

(iii) अनुसेवक भत्ता तथा अनुसचिवीय सहायता भत्ता एवं दूरभाष सुविधा झारखण्ड उच्च न्यायालय के उन्हीं सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश को अनुमान्य होंगे, जो सेवानिवृत्ति की तिथि पर झारखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत रहे हों और

सेवानिवृत्ति के उपरांत किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण/आयोग अथवा पारिश्रमिक वाले किसी अन्य पद पर कार्यरत न हों।

(iv) उपर्युक्त भत्ते सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश द्वारा विपत्र/अभिश्रव प्रस्तुत किये जाने पर वास्तविक व्यय के रूप में उक्त अधिकतम सीमा तक भुगतान किये जायेंगे।

(v) झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा उक्त भत्तों तथा दूरभाष सुविधा की स्वीकृति दी जायेगी एवं भुगतान किया जायेगा ।

(vi) यह संकल्प दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

3. उपर्युक्त प्रस्ताव पर योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

4. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 104—50 ।